न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/216/2019

उनवान

लक्ष्मण पुत्र मोटा गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजायः–

1. मांगुराम पुत्र स्व0 लक्ष्मण गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. हरदेव पुत्र स्व0 लक्ष्मण गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मु0 घीसी पत्नी स्व0 लक्ष्मण गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. रामु पुत्री स्व0 लक्ष्मण गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. अणछी पुत्री स्व0 लक्ष्मण गुर्जर निवासी केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत आमदला पं. सं. माण्डल जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आमदला पं.सं. माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. हगामी पत्नि गोदा बलाई निवासी केमरी
3. नेना पुत्र नाथु बलाई निवासी केमरी
4. ऐजी पत्नि नाथू बलाई निवासी केमरी
5. लच्छु पुत्री हमीर बलाई निवासी केमरी
6. बदामी पुत्री हमीर बलाई निवासी केमरी
7. रूकमणी पुत्री हमीर बलाई निवासी केमरी
8. लेहरी पुत्री हमीर बलाई निवासी केमरी
9. रतनी पुत्री हमीर बलाई निवासी केमरी
10. चन्द्री पत्नि हमीर बलाई निवासी केमरी
11. मांगू पुत्र आसा बलाई निवासी केमरी
12. गंगाराम पुत्र आसा बलाई निवासी केमरी
13. हजारी पुत्र रेमता बलाई निवासी केमरी
14. घीसू पुत्र रेमता बलाई निवासी केमरी
15. टमू पुत्री रेमता बलाई निवासी केमरी
16. बालू पुत्र हजारी बलाई निवासी केमरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

17. बन्ना पुत्र हजारी बलाई निवासी केमरी
18. लादू पुत्र हजारी बलाई निवासी केमरी
19. अमरा पुत्र रामा बलाई निवासी केमरी
20. प्यारी पत्नि गोमा कुमावत निवासी केमरी
21. शंकर लाल पुत्र सुवालाल कुमावत निवासी केमरी
22. देवीलाल पुत्र सुवालाल कुमावत निवासी केमरी
23. रेख पुत्री सुवालाल कुमावत निवासी केमरी
24. पानी पत्नि सुवालाल कुमावत निवासी केमरी
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा के प्रकरण संख्या 108/2018 निर्णय दिनांक 12.01.2019

अभिभाषक : **1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. श्री राकेश जैन अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 10.02.2026

1. **अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आमदला तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के राजस्व ग्राम केमरी पटवार हल्का आमदला तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे शमशान की भूमि आराजी संख्या 168 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा गे0मु0 शमशान के रूप मे दर्ज है।**

प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित शमशान घाट पर आने जाने हेतु रेकार्डेड रास्ता नहीं है जो शमशान घाट पर जाते है, जो कि गांव आबादी की आराजी संख्या 56 से होकर विपक्षी संख्या 01 लगायत 24 की आराजी नम्बर 98, 99,102,103,148 व 167 से होकर आते जाते है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से उक्त खातेदारो द्वारा शमसान घाट पर आने जाने में व्यवधान पैदा करते है।

3. **उक्त शमसान की भूमि पर आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, लेकिन विपक्षीगण उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा भी विपक्षीगण को समझाया लेकिन वो**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तैयार नही हुए व ग्रामवासीयो द्वारा प्रार्थी ग्राम पंचायत मे उक्त संबध मे शिकायत की, जिस पर दिनांक 06.06.2017 को मौका पर्चा बनाया गया, जिसमे भी उक्त रास्ता ही शमसान घाट पर आने जाने का पाया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उक्त रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया। इस कारण से प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

4. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में गांव केमरी की शमसान की आराजी नम्बर 168 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता आबादी आराजी संख्या 58 से होकर विपक्षी सख्या 01 लगायत 24 की आराजी नम्बर 98, 99,102,103,148 व 167 से जाते है, जो साढे सौलह फीट चौड़ा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में काज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एव उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवार हल्का से अपीलान्ट विपक्षी को दिनांक 22.09.2019 को हुयी इस पर अपीलान्ट विपक्षी ने आलोच्य निर्णय एवं उसकी पत्रावली की नकल लेने हेतु दिनांक 23.09.2019 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 25.09.2019 को नकल प्राप्त होते ही यह अपील बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है वैसे भी अपीलान्ट को प्रकरण, हाजा की सुनवायी का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया है न विधिवत तामील ही अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की अपीलान्ट पर हुयी है उक्त सदभाविक कारणों से दिनांक 12.01 2019 से दिनांक 25.09.2019 तक का समय काबिल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

क्षम्य के है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अव्वल तो रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थनापत्र किसी कदर अधिनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकारिता का ही नहीं था व है दोयम रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के अभिवचना अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र किसी कदर धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नहीं आता है क्योंकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र एक खातेदार अन्य खातेदार की आराजियात पर अपनी कृषि आराजियात पर आवागमन करने हेतु रास्ते का ही प्रावधान करती है जबकि मौजूदा प्रार्थनापत्र में न तो जिस आराजी बाबत् रास्ता चाहा गया है वह कृषि आराजियात के उपयोग–उपभोग की है और न ही रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के खातेदारी हक की ही है बल्कि उक्त आराजियात शमशान के रूप में अभिलिखित होकर आबादी हल्के की आराजियात है तो फिर इस हेतु रास्ता कायम करने का प्रार्थनापत्र किसी कदर राजस्व न्यायालय के अर्थात अधिनस्थ न्यायालय के समायत योग्य न होने से प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिज के होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थनापत्र क्षेत्राधिकार के आधार पर काबिल खारिज के होते हुये भी खारिज न कर स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की है अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय अपने अधिकारक्षेत्र से परे है इस कारण आलोच्य निर्णय विधि के विपरीत होने से काबिल अपास्तगी के है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षी को सुनवायी का कोई समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया तथा न अपीलान्ट विपक्षी पर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुये प्रार्थनापत्र के नोटिस की विधिवत प्रोपर सम्यक तामील ही आज दिन तक हुयी है जो कुछ तामील अपीलान्ट विपक्षी की बतायी जाती है व न तो प्रोपर है और न ही विधिवत है और इसी कारण अपीलान्ट विपक्षी अधिनस्थ न्यायालय में सदभाविक रूप से उपस्थित होकर अपना जवाब साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने से वंचित रहा है इस आधार पर अर्थात आलोच्य निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से भी काबिल अपास्तगी के है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया का सम्यक तरीके से निर्वहन ही न कर आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है अव्वल तो अधिनस्थ न्यायालय के समायत योग्य उक्त प्रार्थनापत्र ही नहीं था व है दोयम अधिनस्थ न्यायालय ने जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी है वह पटवार हल्का द्वारा तैयार की गयी है जबकि निर्विवाद रूप से ऐसे मामलों में तहसीलदार अथवा भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे का अधिकारी एवं कर्मचारी कोई मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने हेतु विधि के तहत सक्षम नहीं माना गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तथाकथित पटवार हल्का की एकपक्षीय अपूर्ण अवैध रिपोर्ट को आधार बना आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि पटवार हल्का ने भी उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट अपीलान्ट प्रार्थी को बिना सुने बिना सुनवायी का अवसर दिये बिना उसकी उपस्थिती के तैयार की जो नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर गलत है वैसे भी उक्त मौका रिपोर्ट के साथ कोई किसी प्रकार का नक्शा तक तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा नहीं बनाया गया और न उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्तों के संबंध में कोई किसी प्रकार का अभिमत ही दिया गया है जो कि दिया जाना कानूनन आज्ञापक है अर्थात आज्ञापक नियमों की जानबूझकर सर्वथा अनदेखी करते हुये उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जो किसी कदर न तो कानूनन देखी जा सकती है और न पढ़ी ही जा सकती है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गंभीर सामान्य अनियमितताओं को नजर अंदाज कर आलोच्य निर्णय पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का मानस बना अपने अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करते हुये विधि की सम्यक प्रक्रिया का घौर उल्लघंन कर आलोच्य निर्णय पारित किया है क्योंकि उक्त प्रकरण हाजा में दिनांक 08.01 2019 को पत्रावली तहसीलदार को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश करते हुये आगामी तारीख पेशी 22.01.2019 नियत की गयी जिसे आदेशिका दिनांक 08.01.2019 में दो दो जगह अपने तही कटिंग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

एवं ओवर राईटिंग कर दिनांक 12.01.2019 किया गया है जबकि दिनांक 12.01.2019 को शनिवार होने से अधिनस्थ न्यायालय में राजकीय सामान्य अवकाश होता है तो फिर अवकाश के दिन प्रकरण की सुनवायी नियत किया जाना सर्वथा गलत एवं अवैध था जहां तक राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रश्न है तो उस संबंध में निवेदन है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिनमें संबंधित व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्र सहमती एवं स्वीकृती से आपसी सामन्जस्य एवं सोहार्दपूर्ण माहोल में रांजीनामा किया हो या राजीनामें हेतु तैयार हुये हो किन्तु प्रकरण हाजा में कोई किसी प्रकार का राजीनामा अपीलान्ट विपक्षी अथवा रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है वैसे तो राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवायी के संबंध में संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर उपस्थित होने हेतु सूचना देना कानूनन आवश्यक है जबकि कोई किसी प्रकार की सूचनाध्नोटिस प्रकरण हाजा में राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण में सुनवायी हेतु रखें जाने बाबत् अपीलान्ट विपक्षी अथवा रेस्पोडेन्ट विपक्षी को जारी नहीं किया गया और इसी कारण अपीलान्ट प्रार्थी एवं रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण दिनांक 12.01.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सके तो फिर उक्त प्रकरण का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना भी राष्ट्रीय लोक अदालत की तोहिन मात्र है वैसे भी जो आलोच्य निर्णय पारित किया गया है वह राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिकारी द्वारा पारित न किया जाकर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है जो एक गंभीर अवैधता है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों एवं विधि के मान्य सिद्धान्तों की सर्वथा अनदेखी करते हुये आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि आलोच्य निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से पारित किया गया है वह एक न्यायालय का निर्णय किसी भी दृष्टिकोण से प्रतीत नहीं होता है क्योंकि आलोच्य निर्णय में न्यायालय द्वारा न तो तथ्यों एवं विधि का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है न कोई किसी प्रकार का अभिमत ही न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में व्यक्त किया गया है मात्र दो लाईन में उक्त आराजी सख्या 168 बाबत् आने–जाने का रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है का उल्लेख करते हुये सम्पूर्ण प्रकरण का निस्तारण ही मात्र दो शब्दों में कर दिया उक्त निर्णय ६ आदेश न तो विधि संगत है न विधिवत है न स्पीकिंग

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश की परिधि में ही आता है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धान्तों की पालना न कर आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

14. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलान्ट प्रार्थी की आराजी संख्या 102 में कोई किसी प्रकार का रास्ता आराजी संख्या 168 में आवागमन करने का नहीं है न कभी रहा है बल्कि आराजी संख्या 168 पर आवागमन करने के कई वैकल्पिक रास्ते मौके पर मौजूद है जिसे पटवार हल्का ने वक्त मौका रिपोर्ट दर्ज ही नहीं किये इतना ही नहीं रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने उक्त आराजी संख्या 168 पर आवागमन का रास्ता गांव की आबादी आराजी संख्या 56 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 98, 99, 102 103, 148 व 167 से होना बताया है जो भी सर्वथा गलत है क्योंकि आराजी संख्या 56 आबादी भूमि अव्वल तो नहीं है व न उक्त आराजियात से लगी हुयी है बल्कि आराजी सख्या 56 काफी दूर अवस्थित है तो फिर उसमें से होकर आवागमन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट विपक्षी की आराजियात में से 08 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दिये जाने का आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

15. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट विपक्षी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 12.01.2019 को अपास्त फरमाते हुये रेस्पोडेन्ट प्रार्थी का प्रार्थनापत्र ही कानूनन पोषणीय न होने से खारिज फरमाया जावे अथवा पत्रावली को अपीलान्ट विपक्षी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित अथवा रिमाण्ड फरमायी जावे। हर्जा खर्चा अपीलान्ट विपक्षी को रेस्पोडेन्ट प्रार्थी से दिलाया जावे।

16. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिस भूमि से रास्ता दिया गया है वह कृषि भूमि है। जिससे रास्ता दिया जा सकता है। सहखातेदारों द्वारा सहमती दी गई है। एवं दिनांक 12.01.2019 को लोक अदालत थी जिस मे निर्णय किया गया है। अपील खारीज करने का निवेदन किया।

17. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। एवं प्रत्यर्थी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रिपीटल मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

18. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । बहस का मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार आराजी संख्या 168 के लिए रास्ता दिया गया है जो राजस्व रेकार्ड में शमशान भूमि के रूप मे दर्ज है एवं शमशान भूमि के रूप मे प्रयोग ली जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 251 ए मे केवल कृषि भूमि के लिए रास्ता दिया जा सकता है। अन्य भूमि के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

19. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2019 को अपास्त किया जाता है।

20. निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा